भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (सिंचाई शाखा)
नंगल टाऊनशिप, जिला रूपनगर - 140124

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड अस्पताल, नंगल में एक रेडियोलोजिस्ट के पद को रूपये 50,000/- प्रतिमाह पर संविदा (Contract) के आधार पर भरने हेतु, दिनांक 30.01.2015 को मुख्य अभियन्ता, भाखड़ा बाँध, बीबीएमबी, नंगल टाऊनशिप के चैम्बर में सुबह 11:00 बजे वाक इन इंटरव्यू की जाएगी। सभी योग्य उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के साथ चयन समिति के सामने उपस्थित हो सकते हैं ।

योग्यता व अन्य शर्तो की विस्तृत जानकारी बीबीएमबी की वैब साईट www.bbmb.gov.in में देख सकते हैं ।

निबन्ध एवं शर्तें

1. चिकित्सकों की आयु 21-37 वर्ष के बीच ।
2. योग्यताएँ विशेषज्ञ संवर्ग - परास्नातक पूर्णकालिक डिग्री ।
3. समेकित मासिक वेतन 50000/- रूपये (परास्नातक डिग्री वाले विशेषज्ञ चिकित्सक)।
4. संविदात्मक नियुक्ति की अवधि पहले एक वर्ष के लिए होगी और यदि चिकित्सक का कार्य एवं आचारण संतोषजनक पाया जाता है तो, उसका कार्यकाल उत्तरोत्तर एक वर्ष के लिए, अधिकतम पाँच वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा । यह व्यवस्था नियमित चिकित्सक की तैनाती अथवा पाँच वर्ष, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी ।

5. संविदा पर नियुक्त चिकित्सकों की सेवा सामान्य राजपत्रित एवं अन्य छुट्टियों सहित पूर्ण-कालिक प्रकृति की होगी और उन्हें नेमी के साथ-साथ आपातकालीन ड्यूटी करनी होगी ।

6. परियोजना केन्द्रों पर नियमित चिकित्सकों के लिए यथा स्वीकार्य स्थिति अनुरूप (स्टेटस) आवास प्रदान किए जाएंगे । यदि स्थिति अनुरूप आवास उपलब्ध नहीं होते, तो एक स्तर नीचे के आवास प्रदान किए जाएंगे। सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

7. नियुक्ति बीबीएमबी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड से मैडिकल फिटनेस के अधीन होगी ।

8. वे अपना कार्य बीबीएमबी को एक महीने का नोटिस देकर छोड़ सकते हैं और इसी प्रकार बीबीएमबी उन्हें एक महीने का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर सकती है ।

9. इस नियुक्ति से उन्हें निरन्तरता, वरिष्ठता, स्थायित्व के साथ-साथ नियमित नियुक्ति हेतु किसी दावे का अधिकार प्राप्त नहीं होता ।

10. यदि चिकित्सक किसी प्रकार का कदाचार करता है या उसका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बीबीएमबी को उसकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा ।

11. वे प्रत्येक पूरे माह की सेवा पूरी करने पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश ग्रहण करने के हकदार होंगे ।

12. संविदात्मक नियुक्ति पर चिकित्सकों को इस नीति सुस्पष्ट किए गए विवरण के अलावा अन्य प्रकार के भत्ते/लाभ देय नही होंगे ।

13. कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई भी टीए/डीए नहीं दिया जाएगा। तथापि वे बाहरी यात्रा हेतु नए नियुक्त किए गये चिकित्सकों को स्वीकार्य टीए/डीए के हकदार होंगे ।

14. वे अपने कार्य एवं व्यवहार से उत्पन्न किसी भी प्रकार की विधिक अड़चन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

15. किसी विवाद के निपटान के मामले सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता अन्तिम प्राधिकारी होंगे और यह बीबीएमबी के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहेगा ।